

**VACANCY CIRCULAR**

**NO A/37974/S-11/CAO/R-III**

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
OFFICE OF THE JOINT SECRETARY & CAO**


**ROOM NO 174, 'E' BLOCK,  
DARA SHUKOH ROAD,  
NEW DELHI - 110011**

**Dated, the 01 Feb 2018**

31/5/2018  
42 314 323 37 2523  
14/3

for. Jy-GAD

**All the Ministries/Depts. of Govt of India  
All the Chief Secretaries of State Govts  
The Chief Secretaries of Union Territories**



**SUBJECT: FILLING UP THE 02 (TWO) POSTS OF SANITARY INSPECTOR IN INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE (ARMY, NAVY, AIR FORCE), DEFENCE STAFF HEADQUARTERS AND INTER SERVICE ORGANISATIONS BY DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT), FOR EX-SERVICEMAN BY DEPUTATION/RE-EMPLOYMENT.**

Sir,

AS-18

I am directed to say that **02 (Two) posts** of Sanitary Inspector is required to be filled in Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air Force), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations, New Delhi By deputation (Including short term contract) and For Ex-Serviceman-By deputation/re-employment. The details of the post are as under :-

**Post & Classification : Sanitary Inspector  
General Central Service, Group 'B',  
Non-Gazetted, Non-Ministerial.**

**Level in the Pay Matrix : Level-6**

**Eligibility Conditions : Deputation (Including Short Term Contract) :-**

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the "Level-5 in the Pay Matrix" or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the "Level-4 in the Pay Matrix" or equivalent in the parent cadre or department; or

contd.....p/2

V.S-18  
R 7/3  
No 4210-18  
8.3.18

392/1708  
14.3.18  
6/3/18

- (b) possessing the following educational qualification and experience, namely :

**Essential :-**

- (i) 12<sup>th</sup> Class pass or equivalent from a recognised Board or University;
- (ii) Sanitary Inspector's Certificate from a recognised Institution; and
- (iii) Two years' experience dealing with sanitation works in organization in Central or State Government or Autonomous or Statutory organization, or Public Sector Undertaking or recognised Research Institution.

2. Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. The appointment on deputation shall be governed by the terms and conditions laid down in Department of Personnel & Training No 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17 Jun 2010 and its subsequent amendments, if any.

3. For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

4. **For Ex-Serviceman- By Deputation/Re-employment :**

The Armed Forces personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent in Indian Army, Navy and Indian Air Forces, due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualification and experience shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts).

5. **Job Profile:-** Administration, supervision and allocation of work to safaikaramcharis, Indenting/collection/issue of material (sanitary). Liaison with NDMC authorities for removing garbage from the dust bins and keeping roads etc., outside the buildings clean. Liaise with CPWD authorities for cleaning of choked sewer lines, repair/replacements of sanitary fitting of bathrooms/toilets etc.

contd.....p/3


6. It is requested that the applications (in duplicate) in the enclosed proforma along-with the complete and up-to-date CR dossiers or photocopies of ACRs/APARs for the last 05 years (duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary) and Integrity Certificate (duly verified by an officer not below the rank of Deputy Secretary) of the officers who could be spared in the event of their selection may be sent so as to reach Administrative Officer, CAO/R-III, O/o Joint Secretary & CAO, Ministry of Defence, E Block, Room No. 174, Dara Shukoh Road, New Delhi 110011 within 60 days of the date of publication of this advertisement in the Employment News. Applications received late or without the ACRs/APARs, Integrity Certificate, Cadre Clearance and Vigilance Clearance or otherwise found incomplete will not be considered. While forwarding the applications, it may be verified and certified by the Cadre Controlling Authorities that the particulars furnished by the officers are correct and that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the officer. A Separate certificate is also required to be furnished by Cadre Controlling authority that honesty and integrity of the officer is satisfactory and no major/minor penalty has been awarded to him during the last 10 years.

7. The Curriculum Vitae Proforma can also be downloaded from our website [www.caomod.gov.in](http://www.caomod.gov.in).

8. All Ministries/Departments are requested to circulate this vacancy circular to all organisations, universities, recognized research institutions, Public Sector Undertakings, Semi-Government or Statutory or autonomous Organisations under their administrative control.

**NOTE :** **CANDIDATES WHO ONCE APPLY FOR THE POST WILL NOT BE ALLOWED TO WITHDRAW THEIR CANDIDATURE.**

Yours faithfully,

  
(ZS Koireng)  
Dy Director (R-I & R-III)  
for Joint Secretary & CAO

Copy to :-

All Coord Sections of Integrated HQ of MOD (Army)  
Integrated HQ of Min of Defence (Air) PC Coord  
Integrated HQ of Min of Defence (Navy)/DOA(Civ)  
All Coord Sections of Inter Service Organisations  
All Sections of the Office of JS & CAO  
CAO-P-2- for information.

रिक्ति परिपत्र

सं. ए/37974/एस-11/मु प्र अ/मर्ती-3

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन का कार्यालय)

कमरा संख्या 174, ई- ब्लॉक  
दारा शुकोह रोड  
नई दिल्ली- 110011

दिनांक 01 फरवरी 2018

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग  
सभी राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव  
सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव

**विषय:-** रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारीवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन में सफाई निरीक्षक के दो पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरे जाने हेतु। पूर्व सैनिकों के लिए -प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन द्वारा।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारीवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, नई दिल्ली में सफाई निरीक्षक के दो पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) एवं पूर्व सैनिकों के लिए -प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन द्वारा भरे जाने की आवश्यकता है। इस पद का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

पद एवं वर्गीकरण : सफाई निरीक्षक  
साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',  
अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर : स्तर-6

अर्हता शर्तें :- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी, जो :-

कमरा:.....p/2

(क) (i) पोषक काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं,  
या

(ii) पोषक काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में छः वर्ष की सेवा की है,  
या

(iii) पोषक काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की है

और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं पास या समतुल्य ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक का प्रमाणपत्र; और

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के संगठन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में सफाई कार्यों को निपटाने का दो वर्ष का अनुभव।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का झा सं 6/8/2009-Estt (Pay II) दिनांक 17-7-2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) के आधार पर नियुक्ति के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापना ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**पूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन द्वारा :**

भारतीय थल सेना, नौसेना, और भारतीय वायु सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर या समतुल्य रैंक के सशस्त्र बल कार्मिक जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त या अरक्षिति में स्थानांतरित होने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव है, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का, जिस तारीख को वह सशस्त्र बल से निर्मुक्त होंगे की अवधि तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी, उसके पश्चात वह पुनः नियोजन द्वारा जारी रख सकते हैं। (सिविल पदों के संदर्भ में पुनः नियोजन सेवानिवृत्ति की आयु तक होगा)

4. **कार्य रुपरेखा** - सफाई कर्मचारियों के कार्यों का बँटवारा, निरीक्षण व उनका प्रशासन, सफाई हेतु सामग्री की माँग करना/इकठठा करना/सामग्री को जारी करना। एन डी एम सी (NDMC) पदाधिकारियों से कूड़ेदान व सड़क से कूड़ा हटाने के लिए सम्पर्क करना/कार्यालय के आस पास सफाई करवाना, तथा सी पी डब्ल्यू डी (CPWD) पदाधिकारियों से बंद सिवर पाईप लाईनो की सफाई/मरम्मत/बदलने और बाथरूम व शौचालयों की मरम्मत/रखरखाव हेतु सम्पर्क करना।

5. अनुरोध है कि, संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) पिछले 05 वर्षों के पूर्ण एवं अधतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/ए पी ए आर अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) के साथ प्रशासनिक अधिकारी/भर्ती -3, संयुक्त सचिव एवं मु.प्र.अ. रक्षा मंत्रालय, ई ब्लॉक, कमरा संख्या 174 दारा शुकोह रोड, नई दिल्ली 110011 इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैंडर क्लीयरेंस), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा एक अलग से प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

6. जीवन-वृत्त का प्रारूप पत्र हमारी वेबसाइट [www.caomod.gov.in](http://www.caomod.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

②  $\frac{y_{11}g - y_{12}m}{y_{21}g - y_{22}m}$